

09/01/2022
5/1/2022

प्रथम अपील आर. टी. आई. एक्ट 2005

सेवा में,

DATE:-03-01-2022

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,

दिल्ली नगर कला आयोग, कोर-6ए,

भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

SUBJECT: RTI एक्ट 2005 के तहत सूचना न देने बारे अपील ।

निवेदन इस प्रकार है कि मैं अपीलार्थी Virender Kumar, A-1/650, Sector-6, Rohini, Delhi-110085 ने RTI के तहत दिनांक 29-11-2021 को The CPIO/PIO, C/O Coordinating Officer, Heritage Conservation Committee, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi को By SPEED POST Application देकर सूचना मांगी थी जो आर.टी.आई. एप्लीकेशन की फोटो कॉपी साथ संगलन हैं । RTI Act 2005 की निर्धारित फीस 50/- रुपए पोस्टल आर्डर न० 93G 401387 द्वारा दी गई थी । जिसका Heritage Conservation Committee ने आजतक सूचनाये न देकर RTI Act 2005 की अवहेलना है । जो की HCC ने जानबूझकर मेरी आर टी आई एप्लीकेशन की सूचनाये नहीं दी हैं ।

यह हैं कि मेरे द्वारा मांगी गयी जानकारी RTI Act 2005 के दायरे में है और मेरे द्वारा मांगी गयी जानकारी देने के लिए Heritage Conservation Committee, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi ऑफिस बाध्य है और मेरे द्वारा मांगी गयी जानकारी न देना आर.टी.आई एक्ट 2005 की अवहेलना है ।

यह है कि Heritage Conservation Committee, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi द्वारा अपीलार्थी श्री वीरेंद्र कुमार को सूचना न देकर उपरोक्त अधिकारी ने अपीलार्थी श्री वीरेंद्र कुमार के मौलिक अधिकार का हनन किया है तथा इसलिए CPIO/PIO, C/O Coordinating Officer, Heritage Conservation Committee, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये तथा

अपीलार्थी श्री वीरेंद्र कुमार द्वारा मांगी गई सूचनाए आर. टी. आई. एप्लीकेशन के अनुसार सही व् दुरुस्त जानकारी लिखित में अपीलार्थी श्री वीरेंद्र कुमार को दिलाई जाये | धन्यवाद |

अपीलार्थी



Virender Kumar

A-1/650, Sector-6,

Rohini, Delhi-110085.

Phone:- 9810396064

Email:- virendersharma1212@gmail.com